Ex.P-240

कथन – विक्रांत सिंह मखीजा

थाना	–	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध क्रमांक	–	09/2015
धारा	–	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	–	विक्रांत सिंह मखीजा पिता श्री इंद्रजीत सिंह मखीजा
उम्र	–	40 वर्ष
पता	–	थाना रोड, डा. रामायण सिंह के क्लीनिक के पास, अकलतरा, जिला–जांजगीर चांपा (छ0ग0) मो0–8817903476, 9827129271
व्यवसाय	–	तकनीकी सहायक नागरिक आपूर्ति निगम, अकलतरा

——00——

मैं नागरिक आपूर्ति निगम में 2008 से कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर बिलासपुर एवं जांजगीर जिले में पदस्थ था। अक्टूबर 2014 में तकनीकी सहायक के पद पर पदोन्नत होने के बाद 17 दिसम्बर 2014 से अकलतरा में पदस्थ हूं। श्री जितेन्द्र निगम, वर्तमान में जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम जिला जांजगीर चांपा में पदस्थ है। मेरा कार्य नान द्वारा खरीदी किये जाने वाले चावल की गुणवत्ता का परीक्षण करना है। राईस मिलर्स द्वारा कस्टम मिलिंग हेतु मार्कफेड से धान लेने की अनुमति जिले के खाद्य विभाग से प्राप्त की जाती है। अनुमति में दी गई धान की मात्रा का धान का उठाव कर चावल जमा कराने हेतु मार्कफेड के साथ अनुबंध होता है। अनुबंध के पश्चात् राईस मिलर्स नियमानुसार धान संग्रहण केन्द्रों से धान उठा कर कस्टम मिलिंग कर चावल को एस.डब्ल्यू.सी. के गोदामों में लाते है जहां पर नान के अधिकृत व्यक्ति द्वारा चावल की गुणवत्ता का परीक्षण कर गोदामों में जमा कराया जाता है। नान द्वारा राईस मिलर्स को चावल जमा कराने की स्वीकृति पत्रक केन्द्र प्रभारी द्वारा जारी किया जाता है, जिसके आधार पर राईस मिलर्स पुनः मार्कफेड से धान का उठाव कर मिलिंग कर चावल जमा कराते है। इसी प्रकार राईस मिलर्स द्वारा एफ.सी.आई. के गोदामों में भी चावल जमा कराया जाता है। यह प्रकिया खाद्य विभाग द्वारा दी गई अनुमति में धान की पूरी मात्रा के उठाव तक जारी रहती है। छत्तीसगढ़ राज्य के जिला जांजगीर चांपा में धान का उपार्जन सर्वाधिक होता है, अतः चावल का उत्पादन भी अधिक होता है। जिला जांजगीर चांपा में नान द्वारा एस.डब्ल्यू.सी. के गोदामों में चावल का भंडारण किया जाता है। यदि गोदामों में स्थान उपलब्ध नहीं होगा तो राईस मिलर्स चावल जमा नहीं करा पायेंगे। राईस मिलर्स को अनुमति में उल्लेखित मात्रा का धान उठाकर निर्धारित मात्रा में चावल जमा कराना आवश्यक होता है। यह प्रकिया अनवरत् रूप से चलती रहे और विभाग द्वारा मिलरों को दी जाने वाली सुविधा जैसे ट्रक अनलोड कराने में और चावल भंडारण हेतु स्थान की उपलब्धता में किसी प्रकार की बाधा न आवे, इसके एवज में नागरिक आपूर्ति निगम के जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा पैसे लिये जाते है जो कि मुख्यालय तक पहुंचाया जाता है। मुख्यालय में यह राशि समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों में बंटती है।

इसी क्रम में जिला जांजगीर चांपा के राईस मिलर्स द्वारा भी उपरोक्त सुविधा के एवज में 09रू. प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसे इकट्ठे कर जिला प्रबंधक को दिया जाता था और जिला प्रबंधक द्वारा मुख्यालय में वरिष्ट अधिकारियों तक पहुंचाया जाता था। जनवरी 2015 के अंतिम सप्ताह में मेरी जानकारी में यह बात आई थी कि मुख्यालय द्वारा जिला धमतरी से अकलतरा चावल का रेक भेजा जाने वाला है। इसी संबंध में अकलतरा के ओम गंगा राईस मिल के दीनू भाई उर्फ दीनदयाल अग्रवाल कुछ अन्य राईस मिलर्स के साथ मुझसे मिले थे और बताया था कि वे लोग रेक केन्सिल कराने के बाबत् रायपुर जाकर मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मिले थे, उनके द्वारा रेक रूकवाने का आश्वासन दिया गया है और मुझे कहा था कि आप व्यक्तिगत् रूचि लेकर धमतरी से जो चावल का रेक अकलतरा आने वाला है उसको केन्सिल करावाने के संबंध में भट्ट साहब से बात कर ले और वे. बोलेंगे तो रेक केन्सिल कराने के एवज में 50,000रू. यहां के राईस मिलर्स उन्हें दे देंगे। राईस मिलर्स का कहना था कि जिला जांजगीर चांपा में चावल सरप्लस जमा रहता है और इस जिले से कम उपार्जन वाले अन्य जिलों में चावल का परिवहन किया जाता है। यदि अन्य जिलों से इस जिले में चावल आयेगा तो राईस मिलर्स को चावल भंडारण हेतु स्थान उपलब्ध नहीं होगा और उनका क़स्टम मिलिंग का कार्य प्रभावित होगा जिससे राईस मिलर्स को आर्थिक नुकसान होगा। इन्हीं सब कारणों की वजह से राईस मिलर्स द्वारा चावल का रेक केन्सिल कराने हेतु भट्ट साहब से चर्चा करने के लिये कहा गया था। इस संबंध में दिनांक 31.01.2015 को मेरी श्री एस.एस. भट्ट मैनेजर पी.डी.एस. से उनके मोबाईल पर चर्चा हुई थी। उनके द्वारा बताया गया था कि चावल का रेक डायवर्ट कराने में लगे है। चावल के अंर्तजिला परिवहन प्रबंध संचालक के अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। धमतरी जिला से जो चावल जांजगीर चांपा जिला भेजा जा रहा था वह प्रबंध संचालक की अनुमति के बिना नहीं भेजा जा सकता।

आज मुझे आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो कार्यालय में मेरे मोबाईल नंबर 98271–29271 से श्री **एस.एस. भट्ट,** मैनेजर, नागरिक आपूर्ति निगम, मुख्यालय रायपुर से उनके पर्सनल मोबाईल नंबर 93036–78423 पर हुई बात का कॉल ट्रान्सक्रिप्शन दिखाया गया एवं टेप की हुई आवाज को सुनाया गया। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ कर एवं रिकार्ड की हुई बातें सुनकर वार्तालाप के संबंध में बता रहा हूं कि :–

दिनांक 31.01.2015 के 10:01:37 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 31.01.2015 के 10:08:56 बजे का कॉल मेरे मोबाईल नंबर से **श्री एस0एस0 भट्ट** से उनके पर्सनल मोबाईल नंबर पर हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में मेरे द्वारा श्री भट्ट से कहा गया था कि धमतरी से अकलतरा के लिये चावल का रेक लगना है, उसका डेस्टिनेशन चेंज हो सकता है क्या? इस संबंध में अकलतरा के ओम गंगा राईस मिल के दीनू भाई (दीनदयाल अग्रवाल) के साथ कुछ राईस मिलर्स आये थे और धमतरी से अकलतरा चावल भेजने के स्थान पर यदि अन्य स्थान भेज देंगे तो वह लोग 50,000रू. दे देंगे, बोले है। इस पर भट्ट साहब द्वारा कहा गया था कि रेक का डेस्टिनेशन चेंज करने के संबंध में देखता हूं। उनके द्वारा यह भी कहा गया था कि अकलतरा के राईस मिलर द्वारा पूर्व जिला प्रबंधक, ए.पी. पाण्डेय के समय चार महिने कलेक्शन का पैसा नहीं दिये है और बोल रहे है कि

जिला प्रबंधक, पाण्डेय और अमित सिन्हा, तकनीकी सहायक को दे दिये है। राईस मिलर्स को पाण्डेय और सिन्हा से अपना पैसा वापस मांगना चाहिये। इस पर मेरे द्वारा उन्हें बताया गया था कि अकलतरा का कलेक्शन का हिसाब तो क्लीयर है, जिला प्रबंधक, श्री जीतेन्द्र निगम को पहुंचा दिया था। इस महिने का 02 लाख रूपया एडवांस भी उनको दे दिया हूं। इस पर भट्ट साहब द्वारा बताया गया था कि चार महिने का पुराना हिसाब को लेकर एम.डी., टुटेजा साहब इतने नाराज है कि कह रहे थे कि जब यहा से ट्रांसफर होगा तो लिख कर जाउंगा की पाण्डेय को कभी डी.एम. न बनाया जाए। इस पर मेरे द्वारा श्री भट्ट साहब से कहा गया था कि यहां के मिलर्स यूनियन से चर्चा करके उनसे कहुंगा कि पुराना हिसाब क्लीयर कर दे। मेरे द्वारा भट्ट साहब को यह भी बताया गया था कि मैंने लगभग 15 राईस मिलर्स से पुराने हिसाब के संबंध में पूछा था उनके द्वारा पुराना हिसाब बाकि नहीं होना बताया गया है। इस पर भट्ट साहब द्वारा कहा गया था कि राईस मिलर्स को बोलों कि पाण्डेय से उसको दिया गया पैसा वापस लें और ये भी बोलें कि तुम्हारे कारण राईस मिलर्स का रेपुटेशन खराब हो गया है और अकलतरा से चावल बाहर तो जा नहीं रहा है उलटे बाहर से यहा आ रहा है, जिससे उनको चावल जमा कराने में परेशानी हो रहीं है। इस पर मेरे द्वारा भट्ट साहब से पूछा गया था कि पाण्डेय साहब ने राईस मिलर्स से कलेक्शन के हिसाब में अकलतरा के राईस मिलर का नाम भी बताया है क्या? तब भट्ट साहब द्वारा बताया गया था कि पूरे जिले का हिसाब कह रहा था और 50,000रू. लेकर आया था, तब उन्होंने (भट्ट साहब ने) पाण्डेय को इतने से बात नहीं बनेगी कहकर पैसा वापस कर दिया था और पाण्डेय को बोले है कि जो राईस मिलर कलेक्शन का पैसा नहीं दिये है, उसका लिस्ट दो और उसका क्वांटिटी देखो कि कितना चावल जमा कराया है और जिसने कलेक्शन का पैसा दे दिया है उसने कितना चावल जमा कराया है और जमा कराये मात्रा के हिसाब से कलेक्शन का पैसा दिया है या नहीं दिया है, चेक करो। इसके बाद देखेंगे कि कलेक्शन के पैसे में गडबड़ी किसने किया है। मैंने भट्ट साहब से इस वार्तालाप के दो–तीन दिन पहले निवेदन किया था कि अकलतरा ज्वाइन किये हुए अभी कुछ ही दिन हुए है, तो अभी यही काम करने दे और मेरा स्थानांतरण जिला जांजगीर चांपा से अन्यत्र जिला त्वरित न करे। इसी संबंध में उक्त वार्तालाप में मेरे द्वारा भट्ट साहब से फिर से निवेदन किया गया था कि इस संबंध में एम.डी. साहब से चर्चा कर लेवे। यही मेरा कथन है।

दिनांक 19.03.15

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण
ब्यूरो, रायपुर, छत्तीसगढ